

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प धनेरिया

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धनेरिया
मू.अ.नि. मेहनुरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम छापरी तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 256 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>छापरी</u>	<u>256</u>	<u>रुकमणबाई पत्नी माधवलाल जार रहन - M.A.G.B - दरीबा</u>	<u>रुकमणबाई पत्नी माधवलाल जार रहन - राजस्थान ग्रामीण बैंक - दरीबा</u>

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 277

प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावावे।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली। को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर